राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1118 व 1119 /2014/अलवर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स राठी ग्राफिक्स टैक्नोलॉजीज़, भिवाड़ी,
अलवर । .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08.10.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी, अलवर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक **25.11.2013** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो **अपील संख्या 22/आरवेट/2013–14/उपा/अपील्स/अलवर** के संबंध में हैं तथा जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24, 25, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2010–11 आरवेट व सी.एस. टी. के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **28.03.2013** के जरिये अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति क्रमशः **रू.540070/–** व **रू.41,64,542/–** को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा आलोच्य अवधियों में "टोनर" का विक्रय 4.5 प्रतिशत की दर से घोषित करना प्रकट किया गया है जबकि उक्त अधिनियम की अनुसूची–V के तहत् अवशिष्ठ (Residuary) श्रेणी का माल होने के कारण उक्त 14 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य

लगातार.....2

अवधियों में "टोनर" की गयी बिक्री पर अंतर कर, 9.5 प्रतिशत की दर से, अनुवर्ती ब्याज व प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा जानबूझकर करापवंचन के उद्देश्य से 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तु को 4.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना घोषित करने के कारण अधिनियम की धारा 61 के तहत् कर की दोगुना शास्ति आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किये गये। जारी नोटिसेज की पालना में प्रत्यर्थी कम्पनी की ओर से प्रबंधक श्री हनुमान शर्मा ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा बिक्री वस्तु "टोनर" को 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, दोनों प्रकरणों मे अंतर कर 9.5 प्रतिशत की दर से कर व अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत् कर की दोगुना शास्तियां आरोपित कर, पृथक–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक **28.03.2013** पारित किये गये । उक्त पारित आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्तियों को अपास्त कर, प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर, संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक 22.11.2013 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी कम्पनी द्वारा उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उक्त विवादित बिन्दु पर पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी कम्पनी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि **प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है।** चूंकि हस्तगत अपील में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर

लगातार.....3

विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:–

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)

(ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)

(iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस. टी.सी. 238 (राज.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन. टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226/2009 से 229/2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)

(v) मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.) ग

(vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)

(vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

(viii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]

(ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)

(x)मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437/2009 से 1439/2009/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

लगातार.....4

(xi) **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी–139,रोड़ नम्बर–12, वी.के. आई.ए.,जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073/2010/जयपुर, 1305 से 1308/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]** ।

(xii)**मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन–तृतीय, जयपुर अपील कमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]**

6. इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है । लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि **प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है।** चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं ।

8. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

9. निर्णय प्रसारित किया गया।

मनोहर पुरी 08/10/2014
(मनोहर पुरी)
सदस्य

8.10.2014
(मदन लाल)
सदस्य